पत्र सं0-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु0-/स0प0/17-18/ /1718040/ 1672 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉक:: सितम्बर, 22/2017

समस्त
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड -1,
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0),
ज्वाइण्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर,
वाणिज्य कर / राज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

विभाग में कार्यरत विशेष अनुसंधान शाखा इकाईयों द्वारा की जाने वाली जाँच के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से पूर्व में जारी परिपत्र संख्या-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)/मु0/स0प0/17-18/ 1442 वि0अनु0शा0 दिनांक 30 अगस्त 2017 तथा परिपत्र सं0-1450 दिनांक 31-08-2017 के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश एवं मार्ग दर्शन दिये गये हैं, परन्तु शासन / मुख्यालय एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त होने वाले परिवादों का निस्तारण अधिकारी दिगभ्रमित होकर मात्र औपचारिकतावश सम्पादित कर रहे है । परिवादों की जाँच को और अधिक प्रभावोत्पादक तथा परिणाम-परक बनाये जाने के दृष्टिगत शासन / मुख्यालय तथा अन्य श्रोतों से प्राप्त परिवादों के निस्तारण हेतु निम्न प्रकार से व्यवस्था निर्धारित की जाती है :-

1- शासन स्तर से एवं मुख्यालय को सीधे प्राप्त परिवादों का परीक्षण ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) मुख्यालय, लखनऊ के अधीन तैनात असिस्टेंट कमिश्नर एवं डिप्टी कमिश्नर के द्वारा किया जायेगा । परीक्षणोपरान्त प्रथम दृष्टया जो मामले करापवंचन से सम्बन्धित नहीं हैं तथा जाँच की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है, उन मामलों को ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, की संस्तुति के पश्चात एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय द्वारा निक्षेप कर दिया जायेगा या निक्षेप की संस्तुति शासन प्रेषित की जायेगी अथवा अन्य आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे । परीक्षणोपरान्त जोन में प्रेषित किये जाने योग्य पाये गये मामलों को विभिन्न जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 को जाँच एवं आख्या हेतु परिवाद प्राप्त होने के 03 दिन के अन्दर प्रेषित कर दिया जायेगा । मुख्यालय स्तर पर परिवादों के सम्बन्ध में निम्न प्रारुप में पंजी रखी जायेगी :-

क्र0 सं0	परिवाद का श्रोत व पत्रांक	परिवाद कर्ता का नाम पता व मो0 नं0	व्यक्ति/संस्था जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुयी है	परिवाद का संक्षेप में विवरण	जाँच हेतु परिवाद किसे प्रेषित की गयी	प्रेषित पत्र संख्या व दिनांक	प्राप्त जाँच आख्या का पत्र सं0 व दिनांक	परिणाम	शासन/ परिवादकर्ता को परिणाम से अवगत कराने का पत्रांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2- मुख्यालय स्तर से प्राप्त परिवादों का परीक्षण एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, जोन के द्वारा किया जायेगा । परीक्षणोपरान्त ऐसे मामले जिनमे वि0अनु0शा0 इकाईयों से जाँच कराया जाना अपरिहार्य हो, ऐसे परिवाद एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 सीधे सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) को प्रेषित करेंगे एवं प्रतिलिपि एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)एवं सम्बंधित ज्वाइंट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) को देंगे ।ऐसे मामले जिनमें जाँच खण्ड स्तर से की जानी अपेक्षित पाई जाये ऐसे परिवादों को जाँच हेतु सीधे सम्बन्धित खण्ड के डिप्टी कमिश्नर(कर निर्धारण) को प्रेषित करते हुये प्रतिलिपि सम्बंधित ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक) को दी जायेगी । डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) के द्वारा प्राप्त परिवादों की जाँच यथासम्भव अपने स्तर से करायी जायेगी, लेकिन जिन मामलों में वि0अनु0शा0 इकाई या सचल

दल इकाई के सहयोग की आवश्यकता हो, उनमें एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) / ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) के सहयोग से जाँच सुनिश्चित कराई जायेगी । डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0)/ डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) केद्वारा प्राप्त परिवाद पर जाँच एवं आख्या यथासम्भव एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित कर दी जाऐगी ।एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 के कार्यालय में मुख्यालय से प्राप्त परिवादों की पंजी अलग से निम्न प्रारूप में रखी जायेगी-

<u>एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, के कार्यालय में परिवाद पंजी निम्न प्रारुप में रखी जायेगी :-</u>

क्र0 सं0	परिवाद का श्रोत व पत्रांक	परिवादकर्ता का नाम पता व मो0 नं0	व्यक्ति/संस्था जिसके विरुद्व शिकायत प्राप्त हुयी है	परिवाद का संक्षेप में विवरण	परिणाम	मुख्यालय को जाँच आख्या प्रेषित किये जाने का पत्र व दि0
1	2	3	4	5	6	7

<u>डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)/ डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) के कार्यालय में परिवाद पंजी निम्न प्रारुप में रखी जायेगी :-</u>

क्र0 सं0	परिवाद का श्रोत व पत्रांक	परिवादकर्ता का नाम पता व मो0 नं0	व्यक्ति/संस्था जिसके विरुद्व शिकायत प्राप्त हुयी है	परिवाद का संक्षेप में विवरण	परिणाम	जोनल कार्यालय को जाँच आख्या प्रेषित किये जाने का पत्र व दि0
1	2	3	4	5	6	7

3- जाँच अधिकारी द्वारा प्राप्त परिवादों के सम्बन्ध में परिवाद की सत्यता एवं उसकी गम्भीरता के विषय में प्रारम्भिक जाँच करके जानकारी की जायेगी । यदि प्रारम्भिक जाँच में यह पाया जाता है कि जिस फर्म या व्यक्ति के विरुद्व शिकायत हुयी है, उसका व्यापार, पंजीयन / कर योग्य टर्नओवर की सीमा से कम है एवं उसके द्वारा मात्र अपने जीवन यापन एवं परिवार के भरण पोषण हेतु व्यापार किया जा रहा है, ऐसे मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये सर्वेक्षण अंकित नहीं किये जायेंगे एवं सुसंगत रिपोर्ट एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित की जायेगी । जिन मामलों में यह पाया जाये कि शिकायत व्यक्तिगत द्वेष एवं पारिवारिक झगड़े के उद्देश्य से की गयी है, उनमें भी यथासम्भव उक्त दृष्टिकोण अपनाते हुये जाँच आख्या प्रेषित की जाएगी । जिन मामलों में शिकायतकर्ता का पूरा नाम, पता व मोबाइल नम्बर इत्यादि अंकित नहीं है, उन मामलों में यदि शिकायत तथ्यात्मक नहीं है तथा करापवंचन के प्रमाण नहीं दिये गये हैं, तो उक्त निक्षेप करने की व्यवस्था अपनाई जायेगी ।

माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से तथा राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना से प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, विशेष ध्यान देते हुए अपने निर्देशन में करायेंगे । यथा सम्भव शिकायतकर्ता को प्राप्त परिवाद के सम्बन्ध में तथ्यात्मक सूचना उपलब्ध कराये जाने का अवसर दिया जायेगा, जिससे जाँच और अधिक प्रभावी एवं परिणामपरक हो सके ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें ।

22/09/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।